

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

jdajodhpur.rajasthan.gov.in वेब साईट <http://email:jdajodhpur@rajasthan.gov.in> phone no- 0291.2612086, 0291.2656355 फैक्स: 0291.261537

दिनांक:- २१/२/२१

क्रमांक:- ७१

:: ई-विड सूचना संख्या: जोन-पश्चिम ०८/२०२०-२१ ::

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एवं सरकारी विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत विडर्स कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दूरसंचार, रेल्वे या अन्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों जो राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के विडर्स के समकक्ष हों (विड प्रत्राता पंजीकरण के नियमों के अनुसार मान्य) से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से सिविल कार्यों हेतु ऑनलाइन विड आमंत्रित की जाती है। जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी। विड प्रपत्र शुल्क निम्नानुसार Online SSO ID के माध्यम से जमा करना आवश्यक है:-

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

क्र.सं	विवरण	विड की क्र. सं.	दिनांक व समय
1	ऑनलाइन विड फार्म की उपलब्धता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय	01 to 02	दिनांक 03.02.2021 प्रातः 9.30 बजे से
2	ऑनलाइन विड फार्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय	01 02	दिनांक 25.02.2021 साय 6:00 बजे तक
3	ऑनलाइन विड फार्म जमा करने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	01 02	दिनांक 03.02.2021 प्रातः 9.30 बजे से
4	ऑनलाइन विड फार्म जमा करने की अन्तिम दिनांक व समय	01 02	दिनांक 25.02.2021 साय 6:00 बजे तक
5	विड प्रपत्र शुल्क, ई-विड प्रक्रिया शुल्क ऑनलाइन SSO ID के माध्यम से जमा करने की अन्तिम दिनांक व समय	01 02	दिनांक 15.02.2021 साय 6:00 बजे तक
6	ऑनलाइन वित्तीय विड खोलने की दिनांक व समय	01 02	दिनांक 26.02.2021 दोपहर 3.00 बजे तक
			दिनांक 16.02.2021 दोपहर 3.00 बजे तक

विड का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमति लागत (लाखों में)	विड सुरक्षा राशि(रु.)	विड प्रपत्र शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	दोष निवारण अवधि	जोन कार्यालय
1	Construction of Main road in Vinoba Bhave Nagar Yojana	297.75	-	2000	6 माह	5 वर्ष	पश्चिम
2	पत्रकार कलानी(dali bai se gangaana road) in damrikan ka work	18.55	-	500	1 माह	5 वर्ष	पश्चिम

विड की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं:-

- 01 विड प्रपत्रों को वेबसाइट <http://www.eproc.rajsathan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन विड में भाग लेने वाले विडर्स को विड इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajsathan.gov.in> पर जमा करनी होगी।
- 02 विड की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
- 03 विड हेतु पात्र विडर्स की श्रेणी :-

किसी भी सीमा तक
रुपये 300.00 लाख तक
रुपये 150.00 लाख तक
रुपये 50.00 लाख तक
रुपये 15.00 लाख तक

ए श्रेणी, विडर्स
ए श्रेणी, विडर्स
बी श्रेणी, विडर्स
सी श्रेणी, विडर्स
डी श्रेणी, विडर्स

- 04 विड खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण विड नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष विड
- 05 विड प्रक्रिया :-

कार्य	पोर्टेशियल असेसमेंट	पोर्टर्ट व्हालीफिकेशन	प्री व्हालीफिकेशन
संडक	300 लाख से 1000 लाख तक	10 करोड़ से 100 करोड़ तक	100 करोड़ से अधिक
अन्य निर्माण कार्य	200 लाख से 1000 लाख तक	10 करोड़ से 50 करोड़ तक	50 करोड़ से अधिक

- 06 विडर्स द्वारा निम्नलिखित राशि निम्न विवरण अनुसार विड खोल जाने के समय से पूर्ण जरिये ऑनलाइन SSO ID ऑनलाइन विड
- फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय तक जमा करना आवश्यक है-

क्र. सं.	शुल्क विवरण	शुल्क	मुगलान का प्रकार	देश
1	विड प्रपत्र शुल्क	उपरोक्तानुसार	ऑनलाइन SSO ID के माध्यम से SSO.RAJASTHAN.GOV.IN पर URBAN SERVICES में PAYMENT GETWAY FOR E-TENDERING के माध्यम से	राजस्थान, जोधपुर
2	ई-विड प्रक्रिया शुल्क	60 लाख तक 500/- 50 लाख से ऊपर 1000/-		MD RISL, JAIPUR

- 07 प्रदत्त दरें विड खोलने की दिनांक से 50 दिवसों तक विड स्वीकृति हेतु मान्य (Valid) रहेंगी। यदि विडर्स उस अवधि में अपनी विड अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी विड वापस ले लेता है, तो उसकी विड सुरक्षा राशि जादा कर ली जायेगी

08 यदि विडर्स के नजदीकी रिश्टेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संबंधित जोन अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदव्यापित हो, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिवन्ध रहेगा।

09 राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक विडर्स अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि विडर्स अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति बिड जमा कराने से पहले अथवा विडर्स के यहाँ से सेवाये लेने से पहले अनुमति नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।

10 विडर्स को बिड भरते समय पंजीयन पत्र व Tax Clearance Certificate/GST की प्रति को स्कैन कर लगाना अनिवार्य है।

11 किसी भी बिड को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समर्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा। RPWA 100 की समर्त शर्तें उस सीमा तक मान्य/लागू होंगी जिस सीमा तक के राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता_अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के विशेष में नहीं हो।

12 नेगोशिएशन की आवश्यकता होने पर ई-मेल व पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।

13 नेगोशिएशन की आवश्यकता होने पर ई-मेल व पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।

14 बिड प्रपत्र शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :-

50 लाख से कम अनुमानित लागत	रुपये 500
50 लाख से 150 लाख तक अनुमानित लागत	रुपये 1000
150 लाख से 400 लाख तक अनुमानित लागत	रुपये 2000
400 लाख से अधिक अनुमानित लागत	रुपये 5000

15 ई-बिड के लिए विडर्स हेतु निर्देश :-

- इन बिड में दिलचस्पी लेने वाले विडर्स बिड प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajsathan.gov.in> देख/डाउनलोड कर सकते हैं।

• बिड में भाग लेने वाले विडर्स को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajsathan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन बिड में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट है। इनकोरेमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक बिड में साईन करने हेतु काम आयेगा। विडर्स उपरोक्त डिजिटल सार्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन विडर्स के पास पूर्ण मे वैध डिजिटल सार्टिफिकेट है तो नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नहीं है।

बिडर्स को बिड प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में उपरोक्त वैबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसका प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्थीकार्य नहीं होगा।

इलेक्ट्रॉनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व विडर्स यह सुनिश्चित कर लेंगे की बिड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कोपी बिड प्रपत्रों के साथ अटेक्चर कर दी गयी है।

- कोई भी बिड इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- बिड के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

16. बिड राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। उपर अकित्त समर्त प्रावधान/वंधन उस सीमा तक ही लागू होंगे जिस सीमा तक दे उस बिन्दु से उल्लेखित अधिनियम एवं नियमों कि विकल्प नहीं हो।

17. बिड के साथ अनुलग्नक परिशिष्ट A से D बिन्दु के भाग हैं, जिसकी पूर्ति अनिवार्य है।

18. प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक : जोधपुर/अ.आ./दक्षिण/18-19/673-678 दिनांक 23.05.2018 के अनुसार नवीन सड़क/मरम्मत/पैच रिपेयर आदि कार्य के लिए मूल विडर्स के पास स्वयं का Bitumim Hot mix Plant (As per IRC-27) Annex-A होना आवश्यक है।

19. संयुक्त ज्ञासन संचिव वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ-2(1) वित्त/जी एण्ड टी-एस पी एफ सी/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार बिड सुरक्षा राशी के स्थान पर 50/- रु. के स्टाम्प पर घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अधिशासी अभियंता (जोन पश्चिम)

जोधपुर विकास प्राधिकरण,

जोधपुर

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि वारसे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. सहाय्यक लेखाधिकारी (प्रथम, द्वितीय, तृतीय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. अधिशासी अभियंता जोन- पूर्व/पश्चिम/दक्षिण/उत्तर/मुख्यालय/आरओवी/विद्युत/पी.एच.ई., जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
9. कैशियर/नोटिस वॉर्ड।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्राम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बिड का प्रकाशन <http://www.eproc.rajsathan.gov.in>, www.jodhpurjda.org एवं www.sppt.raj.nic.in की वेबसाइट पर तुरन्त प्रदर्शित (Up Load) करें तथा जी शेड्यूल अपलोड होने के पश्चात बिड आई डी अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावे।
11. ठेकेदार संघ, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर/जोधपुर ठेकेदार संघ/ऑल राजस्थान कान्ट्रोक्टर एसोसिएशन/ठेकेदार संघ सिविल जोड़ी/पीडब्ल्यूडी ठेकेदार संघ/.....।

अधिशासी अभियंता (जोन पश्चिम)

जोधपुर विकास प्राधिकरण,

जोधपुर